रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2018/ज्येष्ठ 25, 1940
No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2018/JYAISTHA 25, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली,14 जून, 2018

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन.

सं.23/27/2017-आरएंडआर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक: 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-1, खंड-1) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए।

2.0 दिनांक: 03 अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 3.2.3 (क) का पैरा:

"भूमि अधिग्रहण:

बोली प्रस्तुत किए जाने के समय 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) भूमि की पहचान और 7 (सात) महीने के भीतर पीपीए का निष्पादन, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/लीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित की जानी चाहिए। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भूमि ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"भूमि अधिग्रहणः

पीपीए पर हस्ताक्षर होने के 12 (बारह) महीने के भीतर, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/लीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष सहित किसी अन्य संस्था के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि/भूमि पट्टा अधिकार को सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित की जानी चाहिए। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भी भूमि पट्टा अधिकार ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

2.2 बिंदु संख्या 12 का पैरा:

"वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जेनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7 (सात) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा।

ऐसा न होने पर खरीददार पीबीजी का नकदीकरण करा सकता है बशर्ते देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमान के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर उत्पादक के कृत्य/अकृत्य जैसे किसी अपरिहार्य कारण से, लेकिन वित्तीय समापन के लिए खरीददार को और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जेनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया जाएगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जेनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जेनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, खरीददार ऐसा कर सकता है।

ऐसा न होने पर खरीददार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नही करा सकता है जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर उत्पादक के कृत्य/अकृत्य जैसे किसी अपरिहार्य कारण से, लेकिन वित्तीय समापन के लिए खरीददार को और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जेनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया जाएगा वह एससीडी की अवधि में सोलर पावर जेनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

2.3 बिंदु संख्या 14.3 का पैरा :

"चालू होने की समय सारिणी

परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 13 (तेरह) महीनों की अवधि में चालू होंगी, लेकिन 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं, अगर सोलर पार्क से बाहर लगाई जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अवधि में चालू हो जाना चाहिए, चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जेनरेटर पर पीपीए में निर्धारित समय-सारणी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जेनरेटर के लिए खरीददार द्वारा चुने गए स्थान के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्व निर्धारित निष्पादन तारीख भी तद्नुसार आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समायवधि में विस्तार एक साल के लिए होगा। विस्तारित अवधि खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शुरू हो रहे 1 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"चालू होने की समय सारिणी

परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 21 (इक्कीस) महीनों की अवधि में चालू होंगी, लेकिन 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं, अगर सोलर पार्क से बाहर लगाई जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 24

(चौबीस) महीनों की अवधि में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से,दनियत चालू होने की समयावधि को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयावधि से कम रखने की जरूरत है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है। चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जेनरेटर पर पीपीए में निर्धारित समय-सारणी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जेनरेटर के लिए खरीददार द्वारा चुने गए स्थान के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्व निर्धारित निष्पादन तारीख भी तद्नुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयावधि खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शुरू हो रहे 1 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER
RESOLUTION

New Delhe, the 14th June, 2018

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.— 1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1) on 3rd August, 2017.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017 namely:-

2.1 The Para at point No.3.2.3 (a): "**Land acquisition**: Identification of the 100% (hundred per cent) land at the time of bid submission and within 7 (seven) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case the land is in the name of Affiliate, the land should be transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator."

May be read as under:

"**Land acquisition**: Within 12(twelve) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case the land is in the name of any other entity, including Affiliate, the land/ land lease rights should be transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land lease rights to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator."

2.2 The Para at point No.12: "**FINANCIAL CLOSURE**

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 7 (seven) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

May be read as under:

" **FINANCIAL CLOSURE**

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement. However, if for any reason, the time period for attaining financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

2.3 The Para at point No.14.3:

"**Commissioning Schedule:**

The Projects shall be commissioned within a period of 13 (thirteen) months from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

May be read as under:

"**Commissioning Schedule:**

The Projects shall be commissioned within a period of 21 (twenty one) months from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 24 (twenty four) months from the date of execution of the PPA. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

GHANSHYAM PRASAD , Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.19 18:10:44 +05'30'